

Form - B



[See rule 9(3) , (4) & (6)]

OFFICE OF SUB DIVISIONAL OFFICER ROOPBAS] DIST. BHARATPUR

No./con/2014/ 179]

Date 30.07.14

CONVERSION ORDER

On the application of Shri-----बृज गोरव शिक्षण एवं प्रशिक्षण सस्थान --of Village रूपबास Tehsil---रूपबास --, agricultural land held by him in his khatedari tenancy is hereby converted for a non-agricultural purpose under rule 9 of the Rajasthan Land revenue (Conversion of agricultural land for Non-Agricultural in Rural Areas) Rules, 2007, the particulars of which are given as under:

1. Name of applicant khatedar/tenants with Father's /husband's name and complete address. b/c khatik r/o roopbas dist. बृज गोरव शिक्षण एवं प्रशिक्षण सस्थान रूपबास जरिये सचिव राकेश सिंह पुत्र हाकिमसिंह जाति ठाकुर निवासी इब्राहिमपुर तहसील रूपबास जिला भरतपुर।
2. Whether the applicant is a member of SC/ST. नहीं
3. Details of the land converted:
 - (a) Name of the village/Gram panchayat/Tehsil. भिडयानी / चैकोरा
 - (b) Khasra No. of the land alongwith area of each Khasra No.(in hectare). 466/26 रकबा 8 बीघा
 - (c) Area converted(in hectare or wq.mtr.) ind. 2465 वर्गमीटर
 - (d) Locating the area of each Khasra No. 2465 वर्गमीटर

Note : A duly verified copy of the relevant part of revenue map showing the land converted for non Agricultural purpose is enclosed.

संलग्न है।

4. Purpose of conversion. संस्थानिक प्रयोजन
5. Rate of conversion charges payable. डी.एल.सी. दर अनुसार
6. Amount of premium deposited with no. and date of challan. 07 दिनांक 16.07.14 रुपये 34510
7. Amount of penalty deposited, if any-with Date and no. of chakkan.. 07 दिनांक 16.07.14 रुपये 23814
8. Amount of interest deposited, if any with Date and no. of challan. नहीं
9. Whether the order issued under rule 13 for regularization. 567 वर्गमीटर हाँ
10. Other particulars, if any. 1. पीडब्ल्डी नोर्स के अनुसार सड़क सीमा छोड़कर ही निर्माण करें। 2. भूखण्ड पर भवन का निर्माण निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप ही किया जावें।

४/
३०८८८

11. The above conversion order shall be subject to the following conditions:-
- I. The land of converted for the above non-agricultural Purpose shall to be used for any other non-agricultural purpose, without obtaining prior permission of the prescribed authority.
 - II. If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a Period of 2 years from the date of the issue of the issue of this order the permission Shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be Forfeited.
 - III. No land as mentioned in rule 4 shall becaused for any non-agricultural purpose.
 - IV. No. part of land converted for public utility purpose shall be used for any other Non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.

Seal

SJ
SUB PANCHAYAT SECRETAIRE
रूपवास भरतपुर

No./con/2014 / 1792-95

Date 30.07.14

Copy to :

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर।
2. ग्राम पंचायत चैकोरा।
3. The applicant Shri बृज गोरव शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति ठाकुर निवासी इब्राहिमपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
सिंह पुत्र हाकिमसिंह जाति ठाकुर निवासी इब्राहिमपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
4. तहसीलदार रूपवास

Q. _____
30/7/2014
SUB PANCHAYAT SECRETAIRE
RUPVABAS भरतपुर

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

क्रमांक: राजस्व / 12 / 3 (17) 2016 / 102

दिनांक: 15/10/2016

संपरिवर्तन आदेश

बृज गौरव शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, रूपवास जरिये सचिव श्री राकेश सिंह पुत्र श्री हाकिम सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम इब्राहिमपुर तहसील रूपवास की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 एवं संशोधित नोटिफिकेशन एफ.6(26)/रेव-6/2014 / 33 दिनांक 06.10.2016 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1	आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम, पिता/पति का नाम सहित तथा पूरा पता	बृज गौरव शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, रूपवास जरिये सचिव श्री राकेश सिंह पुत्र श्री हाकिम सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम इब्राहिमपुर तहसील रूपवास
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	लागू नहीं
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा : (क) ग्राम, ग्राम पंचायत/ तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेन में)	ग्राम भिडियानी, ग्राम पंचायत चैंकोरा तहसील रूपवास
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेन या वर्गमीटर में)	ग्राम भिडियानी, ग्राम पंचायत चैंकोरा तहसील रूपवास का आराजी खसरा नम्बर 466 / 26 रकबा 8 बीघा
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एवं विद्यालय / महाविद्यालय विस्तार हेतु भूमि रूपान्तरण।
5	संदेय प्रीमियम की दर	डीएलसी की 10 प्रतिशत राशि की दर से
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या 18679992 दिनांक 14.09.2017 से राशि 376500/- (तीन लाख छियेत्तर हजार पाँच सौ मात्र)
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ती यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नहीं
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नहीं
9	क्या आदेश नियमितीकरण के नियम 13 के अधीन जारी किया	नहीं

	गया है।	
10	अन्य विशिष्टि यदि कोई हो।	नहीं

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्ययीन होगा:-

1. अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समप्रहृत हो जायेगा।
3. उक्त प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
4. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0जयपुर के परिपत्र क्रमांक: एसई(एनएच)पीए/05 /डी-1603 दिनांक 24.2.2005 की पालना में आई.आर.सी. के मापदण्ड अनुसार सड़क मध्य से दूरी छोड़कर निर्माण करायेगा।
5. निर्माण से पूर्व प्रयोजनार्थ भूमि हेतु जो सम्पर्क मार्ग बनायेंगे, उस पर सड़क सीमा में पाईप डालकर पुलियों का निर्माण करना होगा।
6. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: प-6(6)राज-6 /92 पार्ट/ 23 दिनांक 17.07.2007 में दिये गये निर्देश की भी पालना करनी होगी।
7. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों, उप नियमों तथा वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति करनी होगी। किसी विधिक प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में यह भूमि रूपान्तरण निरस्त योग्य होगा।
8. खातेदार द्वारा रास्ता/सड़क उपयोग हेतु प्रस्तुत समर्पण-नामा में अंकित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल कराया जाकर नक्शे में तरमीम करावें।
9. मुख्य नगर नियोजक, (एनसीआर) राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अनापत्ति क्रमांक टीपीआर/एनसीआर/ा/जन/ग्रामीण/भरतपुर/2017/311 दिनांक 29.05.2017 के परिप्रेक्ष्य में उप नगर नियोजक भरतपुर द्वारा जारी अनापत्ति क्रमांक बीटीआर/एनसीआर/जन/रुरल/1377 दिनांक 06.09.2017 में वर्णित शर्तों की पालना की जानी होगी।
10. प्रार्थी संस्था को भवन निर्माण हेतु अग्र सैट बैक 15 मीटर वं शेष सभी ओर क्रमशः 9-9-9 मीटर रखे जाने की सुनिश्चितता की जानी होगी। साथ ही भवन निर्माण से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
11. प्रार्थी द्वारा अग्नि शमन के उचित प्रावधान किये जावेंगे, जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. पूर्व में संपरिवर्तित भूमि एवं वर्तमान में संपरिवर्तित भूमि का संकलित रूप से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना होगा। संकलित रूप से प्रयोग नहीं किये जाने पर संपरिवर्तन आदेश निरस्त योग्य होगा।
13. प्रकरण में खसरा नम्बर 466/26 की पूर्व में संपरिवर्तित 2465 वर्गमीटर भूमि की रूपवास से भिड़ियानी सड़क से पहुंच दर्शाई गई है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट दर्शाया गया है। अतः उक्त पहुंच मार्ग की सुनिश्चितता की जानी होगी।
14. प्रार्थी संस्था द्वारा पूर्व में संपरिवर्तित भूमि में यदि निर्माण यदि नियमानुसार नहीं है तो प्रार्थी संस्था

Mr.
गिला कलक्टर
भरतपुर

15. प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित स्थल से पानी के निकास के उचित प्रावधान किये जावेंगे जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
16. प्रार्थी द्वारा नियमानुसार स्टाम्प छायूटी अदा की जानी होगी।

संलग्न ब्लू प्रिन्ट

Sd.

जिला कलक्टर

भरतपुर

दिनांक: 15/9/2017

क्रमांक: राजस्व / 12 / 3 (17) 2016 / 11205 - 11210
प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा कलौ 0 भरतपुर।
3. उपखण्डाधिकारी, रूपवास।
4. तहसीलदार, रूपवास
5. उप पंजीयक रूपवास को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दस्तावेज का नियमानुसार पंजीयन किया जाना सुनिश्चित करें।
6. बृज गौरव शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, रूपवास जरिये सचिव श्री राकेश सिंह पुत्र श्री हाकिम सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम इब्राहिमपुर तहसील रूपवास।
7. आदेश पत्रावली।

fr
जिला कलक्टर

भरतपुर